



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3004 वर्ष 2026

शमशाद खान और 3 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	आद्या प्रसाद तिवारी, केसी मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	अर्चना केशरवानी, आज़ाद राय, सीएससी, शशांक शेखर, शिव राम सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 08.12.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (4) के तहत वैधानिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा प्रयागराज डिवीजन, प्रयागराज के आयुक्त के समक्ष दायर की गई थी, जिसे अपील संख्या 3055/2025, कंप्यूटर केस संख्या 202502000003055 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त अपील के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था, जो लंबित है।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि अंतरिम सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
3. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश राय और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराम सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निपटाया जा रहा है।
5. वर्तमान याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2-अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर लंबित अपील में अंतरिम राहत प्रदान करने के आवेदन पर शीघ्रता से और अधिमानतः तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।

12 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"